न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 46/2022

आरसीएमएस नं. 2022/46

1. शकील उम्र 14 वर्ष पुत्र सलमा पुत्री सुभान पत्नी जुल्फकार नाबालिग जरिये वली पिता जुल्फकार पुत्र अब्दुल जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 15 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. पाकीजा उम्र 12 वर्ष पुत्री सलमा पुत्र सुभान पत्नी जुल्फकार नाबालिग जरिये वली पिता जुल्फकार पुत्र अब्दुल जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 15 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. सलामुदीन पुत्र सुभान
2. शेर मोहम्मद पुत्र नानू खां
3. आमीन पुत्र शरीफ
4. हुसना पुत्री शरीफ

जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

5. नजमा
6. मदीना
7. समीना
8. जाविदा
9. फरजाना
10. हुसैन

पि0 गुलाबनबी पुत्र जमालदीन जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

11. जैनम पत्नी गुलाब नबी पुत्र जमालदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. याकूब
13. गुलामनबी

जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

14. अमतून पत्नी यासीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

15. युनस
16. युसफ
17. जकिर
18. आमीर खां

पुत्रगण यासीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

19. हुसना पुत्री यासीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

20. फारूक
21. आमीन
22. हुसैन
23. मजीद

पुत्रगण नूरसेना पुत्री जमालदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ

24. आईशा पुत्री नूरसेना पुत्री जमादीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नाहर जिला हनुमानगढ।

25. मदीना पुत्री जमादीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नाहर जिला हनुमानगढ।

26. रसीदा पुत्री जमालदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नाहर जिला हनुमानगढ।

27. रसीदा
28. नूरबेगम

पुत्रिया पासरा पुत्री नानू खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।

29. साहबूदीन पुत्र पासरा पुत्री नानू खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढं

30. रियासत अली
31. महबूब
32. आजम अली

पि0 जैतुन पुत्र पासरा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर,

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

33. मकसूद पुत्र जुले खां पुत्र पारसा जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नाहर जिला हनुमानगढ।

34. दानी
35. सबराई
} पि0 नानू खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

36. बलकीसा
37. जुबैना
38. मजीदा
39. गुलजारा
40. बेगा
41. हलीमा
} पि0 सुभान खां पुत्र नानू खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील व जिला हनुमानगढ

42. अदरीश पुत्र पारसा पुत्री नानू खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

43. हेमना उर्फ ऐमना पुत्री पारसा पुत्री नानू खां जाति मुसलमान कुम्हार तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

44. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ।

—— रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर
प्र. सं. 211/2018 अनवान सलामूदीन बनाम शेर मोहम्मद आदि

उपस्थितिः—

श्री भरतसिंह बेनीवाल, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रविन्द्र गोदारा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 44

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 6.7.21

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वादपत्र मे नानू खां की चक 1 एनएआर–बी तहसील नोहर की 4.8050 है0 भूमि को वाद पत्र में वर्णित हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने वाद पत्र को स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित की गई है। अपीलाण्ट की माता सलमा का देहान्त दिनांक 28.02.2014 को हो चुका था इसलिए इनके वारिसों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। अपीलाण्ट की माता सलमा के इकबालदावा नहीं है तथा नाही वकालतनामा पर हस्ताक्षर किये तथा ना ही कभी हक हिस्सा त्याग किया है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उनकी अनुपस्थिति में उनका हिस्सा राजस्व रिकार्ड में कलमजन कर दिया जबकि उसके भूमि उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सभी पक्षकार स्वयं उपस्थित नहीं हुए ना ही उनको दावा की कोई सूचना दी गई। आवश्यक पक्षकारों का अभाव है। आवश्यक पक्षकारों की जांच नहीं की गई। अपीलाण्ट्स या उनकी माता सलमा के द्वारा कभी भी वादी के पक्ष में कोई हक त्याग या दस्तबरदारी नहीं करवाई है। दावा के पक्षकारों के मौखिक कह देने से हकों का त्याग कभी भी नहीं माना जाता है। अपीलाण्ट की बिना सुनवाई के उनके हक व हिस्सा की भूमि से महरूम कर दिया है जिससे अपीलाण्ट्स को अपूर्णीय क्षति होती है। इसलिए अपीलाण्ट एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। अपीलाण्ट पक्षकार नहीं होने के कारण अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी, धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र एवं अपील स्वीकार की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने सारे तथ्य गलत अभिकथित किये हैं एवं अपील अन्दर मियाद नहीं है। अपीलाण्ट ने लगभग 3 वर्ष 6 माह बाद अपील पेश की है जबकि मियाद अधिनियम में दिन प्रतिदिन किस कारण देरी हुई है उसका कारण बताना पड़ता है। लेकिन अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र में कोई उचित कारण दर्ज नहीं किया हे। अपीलाण्ट मियाद अधिनियम में किसी भी प्रकार की छूट प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट की माता सलमा ने जरिये दस्तबरदारी दिनांक 02.06.2010 के द्वारा अपना हक त्याग कर दिया था। जिसकी फौटो प्रति पत्रावली में प्रस्तुत की गई है। जिसमें उसने अपना हक त्याग कर दिया था। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (26) 2019 पेज 20 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में एक ही आदेशिका के द्वारा प्रकरण को दर्ज कर राजीनामा होना बताते हुए वादी का वाद स्वीकार किया गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि उसकी माता सलमा का देहान्त दिनांक 28.02.2014 को हो चुका था, उसके वारिसों को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलाण्ट के तथ्यों की पुष्टि अपील में प्रस्तुत सलमा देवी के मृत्यु प्रमाण–पत्र से होती है जिसमें उसकी मृत्यु दिनांक 28.02.2014 को होना अंकित किया गया है। जबकि अपीलाधीन निर्णय वं डिक्री दिनांक 29.06.2018 को पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

के कारण जो विधि विरूद्ध। अपीलाण्ट सलमा के पुत्र होने के कारण प्रश्नगत भूमि में अपना हक हिस्सा होने के कारण वह अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है, जिसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है। अतः अपलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2018 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवश्यक पक्षकारों को वाद में पक्षकार संयोजित कर उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.7.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

6/7/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़